नगर निगम चुनाव में खपाने के लिए 4.30 लाख के जाली नोट जयपुर लाए थे बदमाश

अंतरराज्यीय गिरोह के चार बदमाशों को पुलिस ने दबोचा, दो लग्जरी वाहन जब्त

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। आदर्श आचार संहिता के बीच बजाज नगर थाना पुलिस और जयपुर पुलिस आयुक्तालय की सीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई कर जाली नोटों के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 लाख 30 हजार 500 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। आरोपियों के पास से जाली नोटों के परिवहन में इस्तेमाल की जा रही स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर भी जब्त की गई हैं। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि जाली नोटों की यह खेप आगामी नगर निगम चुनाव के दौरान बाजार और चुनाव प्रचार में खपाने के लिए जयपुर लाई गई थी। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और जाली नोटों की सप्लाई के स्त्रोत का पता लगाने में जुटी है।

विशेष पुलिस कमिश्नर (ऑपरेशन्स) ओमप्रकाश ने बताया कि पूछताछ में गिरोह के मुख्य सरगना अमन राणा निवासी गांधीपथ, रोहतक (हरियाणा) का नाम सामने आया है। पुलिस के अनुसार अमन राणा वर्तमान में बांग्लादेश में बैठकर जाली नोटों के नेटवर्क को संचालित कर रहा है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गिरोह के अंतरराज्यीय नेटवर्क और अन्य सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।डीसीपी जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि अंशुल (24) पुत्र राजू निवासी राजीव कॉलोनी, रोहतक, साहिल चौधरी (24) पुत्र रामचंद्र चौधरी निवासी रामसीसर, फतेहपुर सदर, सीकर, प्रियांशु (21) पुत्र राजवीर निवासी करौथा, शिवाजी कॉलोनी, रोहतक और आकाश (26) पुत्र विजय सिंह निवासी काहनौर, कलानौर, रोहतक को गिरफ्तार किया है।

बजाज नगर पुलिस और जयपुर सीएसटी ने 4.30 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर नकदी व 2 लग्जरी कारें जब्त कीं।

- **बांग्लादेश में बैठा मुख्य सरगना चला रहा था नेटवर्क, पुलिस तलाश में जुटी**
- **आरोपियों से पूछताछ में जाली नोटों की सप्लाई, नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और पूर्व में खपाई गई नकली मुद्रा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की संभावना है।**

बजाज नगर थानाधिकारी रामधन डोभाल ने बताया कि पुलिस पड़ताल में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। अंशुल के खिलाफ पीजीआई रोहतक में हत्या तथा आर्य नगर थाने में जानलेवा हमले का मामला दर्ज है। आकाश के खिलाफ भी पीजीआई रोहतक में हत्या, आर्य नगर में जानलेवा हमले सहित शिवाजी कॉलोनी में मामला दर्ज है। प्रियांशु के खिलाफ पीजीआई रोहतक और आर्य नगर थाने में मामले दर्ज बताए गए हैं। वहीं साहिल चौधरी के खिलाफ जयपुर के बगरू थाने में वर्ष 2023 में मामला दर्ज है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में जाली नोटों की सप्लाई, नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और पूर्व में खपाई गई नकली मुद्रा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की संभावना है।

औद्योगिक क्षेत्रों में हरियाली को मिलेगा दीर्घकालीन संरक्षण

-कार्यालय संवाददाता-

- **रीको ने पार्क एवं हरित क्षेत्रों के रख रखाव की अवधि बढ़ाई**
- **प्रारंभिक स्तर पर अब 3 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष के लिये एजेंसियों को सौंपे जाएंगे पार्क**

जयपुर। रीको प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्रों एवं आवासीय कॉलोनियों में स्थित पार्क, गार्डन, रोटरी, सर्किल, मीडियन, डिवाइडर एवं रोडसाइड प्लांटेशन के दीर्घकालिक विकास एवं रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब इन हरित क्षेत्रों को संबंधित एजेंसियों को 3 वर्ष के स्थान पर प्रारंभिक रूप से 7 वर्ष की अवधि के लिए सौंपा जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि प्रकृति मानव जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराती है और इसलिए पर्यावरण संरक्षण को विकास की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाना आवश्यक है। इसी सोच के अनुरूप औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण एवं हरित क्षेत्रों के संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए रीको द्वारा यह पहल की गई है।

वर्तमान में लागू 23 मार्च, 2018 के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित पार्क अथवा हरित क्षेत्र को किसी एजेंसी को प्रारंभिक रूप से 3 वर्ष की अवधि के लिए सौंपे जाने का प्रावधान है। रीको द्वारा पौधरोपण के विकास एवं संरक्षण की समीक्षा के दौरान यह महसूस किया गया कि पौधों के पूर्ण विकास, बेहतर संरक्षण तथा उनके दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए तीन वर्ष की अवधि पर्याप्त नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्क, गार्डन, रोटरी, सर्किल, मीडियन, डिवाइडर एवं रोडसाइड प्लांटेशन आदि के विकास एवं रखरखाव को अधिक प्रभावी और दीर्घकालिक बनाने के लिए संबंधित एजेंसी को अब प्रारंभिक रूप से 7 वर्ष की अवधि के लिए जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार प्रारंभिक 7 वर्ष की अवधि के बाद आपसी सहमति के आधार पर इसे 14 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए दो चरणों में, प्रत्येक चरण में 7 वर्ष की अवधि बढ़ाने का प्रावधान होगा। अवधि बढ़ाने का निर्णय संबंधित एजेंसी द्वारा किए गए विकास एवं रखरखाव कार्यों की प्रगति, निर्धारित शर्तों के अनुपालन तथा कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए रीको एवं संबंधित एजेंसी की आपसी सहमति से किया जाएगा।

रीको द्वारा राज्य सरकार के 'मिशन हरयालो राजस्थान' के तहत प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में तीन लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया। वहीं वर्ष 2026-27 में अब तक लगभग तीन लाख वृक्षारोपण किया जा चुका है। रीको ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 5 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

रीको का यह निर्णय औद्योगिक क्षेत्रों एवं आवासीय कॉलोनियों में हरित क्षेत्रों के बेहतर विकास, पौधों के संरक्षण तथा दीर्घकालिक रखरखाव को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लंबी अवधि के लिए जिम्मेदारी मिलने से संबंधित एजेंसियों को पौधों के पूर्ण विकास, हरित क्षेत्रों के संवर्धन तथा उनके समुचित रखरखाव के लिए अधिक प्रभावी एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही संबंधित एजेंसियों को भी कार्बन क्रेडिट लेने में फायदा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा एजेंसियां पर्यावरण संरक्षण के इस कार्य में सम्मिलित होंगी।

रवि बापना अमेरिकी विश्वविद्यालय के डीन बने

जयपुर। जयपुर के मूल निवासी और अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा एनालिटिक्स व डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के विद्वान डॉ. रवि बापना को अमेरिकी विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया स्थित सांता क्लारा विश्वविद्यालय ने अपना डीन (अध्यक्ष) नियुक्त किया है। डॉ. रवि बापना एक सितम्बर 2026 से नया पदभार संभालेंगे। डॉ. बापना अब तक प्रसिद्ध अमेरिकी विश्वविद्यालय मिनेसोटा विश्वविद्यालय के कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में संयुक्त डीन पद पर कार्यरत रहे हैं। यहाँ वह शैक्षिणक कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अपने नए पद पर सांता क्लारा विश्वविद्यालय के लीवे स्कूल के शैक्षिणक कार्यक्रमों का संचालन करेंगे और एम.बी.ए. की शिक्षा के विभिन्न शैक्षिणक पहलुओं का नेतृत्व करेंगे। बापना ने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में बिजनेस एनालिटिक्स और ए. आई. को शैक्षिणक उत्कृष्टता दिलाई और विश्वविद्यालय को उसकी उत्कृष्टता और विशेषज्ञता के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली।

वाहन चालकों के 544 चालान काटे

जयपुर। शहर में रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने दो दिवसीय विशेष अभियान चलाकर 544 चालान किए। इस अभियान के दौरान जयपुर के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर जोन में विशेष टीमें तैनात कर कार्रवाई की गई। वहीं दो दिनों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 7134 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त यातायात योगेश गोयल ने बताया कि यह विशेष अभियान दो दिन चलाया गया। इस दो दिवसीय अभियान में रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर 283 चालान किए गए, जबकि 21 अगस्त को 261 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस तरह दो दिनों में कुल 544 चालान किए गए। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 7 हजार 134 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

नेक नीयत साबित करने के लिए एक लाख रु. का डीडी जमा कराए याचिकाकर्ता : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विभाग में लेक्चरर भर्ती से जुडे अभ्यर्थी को आदेश दिए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विभाग में लेक्चरर भर्ती से जुडे अभ्यर्थी को अपनी नेक नीयत साबित करने के लिए आरपीएससी में एक लाख रुपए का डीडी जमा कराने को कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मुकेश श्रीमाल की याचिका पर दिए। आरपीएससी ने याचिकाकर्ता पर आदतन मुकदमेबाज का आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि डिमांड ड्राफ्ट की राशि जब्त होगी या वापस की जाएगी, यह याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 22 सितंबर को रखते हुए प्रभारी अधिकारी को रिकॉर्ड सहित पेश होने को कहा है। याचिका में भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। वहीं आरपीएससी के अधिवक्ता युवराज सामंत ने अदालत को बताया कि किसी खास एक्सपर्ट के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच सक्षम स्तर पर कर रहे हैं। याचिका में लगाए आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि सफल उम्मीदवारों और साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के बीच कोई संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता एक आदतन मुकदमेबाज व्यक्ति है, उसने 2015 से 2023 के बीच दर्जन याचिकाएं दायर की हैं। वहीं चयनित अभ्यर्थी देवेश जैमन की ओर से अदालत को कहा गया कि याचिका में लगाए आरोप गलत हैं, याचिकाकर्ता पहले भी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, विभाग व अन्य के खिलाफ याचिकाएं दायर कर चुका है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने कहा कि इंटरव्यू लेने वालों ने भर्ती प्रक्रिया में पक्षपातपूर्ण तरीका अपनाया था, इसलिए पूरी प्रक्रिया ही गलत आधार पर हुई है। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को एक लाख रुपए का डीडी आरपीएससी के पक्ष में जमा कराने के निर्देश देते हुए प्रभारी अधिकारी को रिकॉर्ड सहित पेश होने को कहा है।

- **अदालत ने कहा कि डिमांड ड्राफ्ट की राशि जब्त होगी या वापस की जाएगी, यह याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 22 सितंबर को रखते हुए प्रभारी अधिकारी को रिकॉर्ड सहित पेश होने को कहा है।**

समझाइश की

जयपुर। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात दक्षिण सुनीता मीना ने रामबाग चौराहे पर वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल समझाइश की।

जयपुर में एआईएपीजीईटी परीक्षा के दौरान बिजली गुल

- **49 अभ्यर्थियों को फिर से देना होगा एग्जाम**

जयपुर। अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (एआईएपीजीईटी)-2026 के दौरान शनिवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित श्री सत्य साईं पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने से परीक्षा व्यवस्था चरमरा गई। कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू होने के करीब 15-20 मिनट बाद बिजली चली गई, जिससे कई कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गए। काफी देर तक व्यवस्था बहाल नहीं होने से अभ्यर्थी परीक्षा पूरी नहीं कर सके। इसके बाद केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों ने हंगामा और नारेबाजी की। मामले को गंभीरता से लेते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने इस केंद्र के प्रभावित 49 अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द कर दी। अब इनकी दोबारा परीक्षा 1 सितंबर को होगी।

एनटीए के अनुसार 22 अगस्त को एआईएपीजीईटी-2026 की शिफ्ट-1 परीक्षा आयोजित हुई। इसके लिए देशभर में 36,979 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 35,837 अभ्यर्थी 200 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 35,788 की परीक्षा पूरी हो सकी। जयपुर के श्री सत्य साईं पीजी कॉलेज केंद्र पर कुल 192 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 49 बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण परीक्षा पूरी नहीं कर सके।

अभ्यर्थियों के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। करीब 10.20 बजे अचानक बिजली चली गई और कई कंप्यूटर बंद हो गए। कुछ देर तक बिजली आने का इंतजार किया गया, लेकिन आपूर्ति कभी आती और कभी चली जाती रही। इससे कई अभ्यर्थी बिना पंखे और कंप्यूटर के अपनी सीटों पर बैठे रहे।

अभ्यर्थी डॉ. सुधा शर्मा ने बताया कि परीक्षा शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद कई कंप्यूटर बंद हो गए। परीक्षा निरीक्षक ने शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली जाने की जानकारी देते हुए कुछ देर में व्यवस्था ठीक होने की बात कही, लेकिन परीक्षा सामान्य नहीं हो सकी। ऑब्जर्वर डॉ. हर्षिता सचदेवा के अनुसार पावर सप्लाई में समस्या के कारण करीब आधे कंप्यूटर प्रभावित हुए। कुछ कंप्यूटर चलते रहे, जबकि कुछ बंद हो गए। बाद में एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया।

परीक्षा का निर्धारित समय दोपहर 12 बजे समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र से बाहर कर दिया गया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि बिजली कटौती के कारण उनका काफी समय बर्बाद हुआ, लेकिन उसकी भरपाई के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने कॉलेज परिसर के बाहर नारेबाजी और हंगामा किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। कुछ छात्राओं की तबीयत बिगड़ने और बेहोश होने की भी जानकारी सामने आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिलाया गया।

एनटीए ने प्रभावित 49 अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा 1 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे आयोजित करने की घोषणा की है। यह परीक्षा राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर विमेन, जयपुर में होगी। परीक्षा से संबंधित जानकारी संशोधित एडमिट कार्ड के माध्यम से दी जाएगी। इसी केंद्र पर दूसरी शिफ्ट में होम्योपैथिक पीजी प्रवेश परीक्षा के दौरान भी अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। दोपहर 3 बजे होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बायोमेट्रिक सिस्टम में तकनीकी समस्या आ गई। इससे अभ्यर्थियों ने केंद्र के बाहर हंगामा किया।

कांग्रेस की सरकारों में गड़बड़ियों पर पर्दा डालते थे, हम कार्रवाई करते हैं : खींवसर

जयपुर। प्रदेश में सेनेटरी नैपकिन की खरीद और सरकारी योजनाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने तीखा पलटवार किया है। खींवसर ने कहा कि गहलोत सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार की कार्यशैली में साफ अंतर है। पूर्ववर्ती सरकार के समय जनकल्याणकारी योजनाओं में हुई अनियमितताओं पर पर्दा डालने की कोशिश होती थी, जबकि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

खींवसर ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में सेनेटरी नैपकिन निजी कंपनियों से 14.09 और 16.80 रुपए प्रति पैकेट की दर से खरीदे जाते थे, जबकि वर्तमान सरकार भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम से मात्र 11.34 रुपए प्रति पैकेट की दर से खरीद कर रही है। उन्होंने दावा किया कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया है और प्रदेश में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।चिकित्सा मंत्री ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में उड़ान योजना के तहत निशुल्क वितरण के लिए भेजे गए सेनेटरी नैपकिन के कथित दुरुपयोग के मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि करीब 34 लाख रुपए मूल्य के 1.70 लाख पैकेट सेनेटरी नैपकिन से भरा एक ट्रक पोकरण में पकड़ा गया था। बांसवाड़ा में भी सरकारी योजना के सेनेटरी नैपकिन को बाहर बेचने के मामले सामने आए थे।खींवसर ने कहा कि सरकारी योजनाओं की सामग्री की कथित कालाबाजारी और अन्य अनियमितताओं के मामलों को प्रदेश की जनता भूली नहीं है।

चुनाव प्रभारी जोगाराम पटेल ने सांसद, विधायकों व पदाधिकारियों से की चर्चा

नगर निकाय चुनाव प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को सांसद, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा की।

-कार्यालय संवाददाता-

- **निकाय चुनावों को लेकर वार्ड स्तर तक सक्रियता बढ़ाने के निर्देश**

जयपुर। आगामी नगर निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर शहर में चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को भाजपा जयपुर शहर की महत्वपूर्ण संगठनात्मक एवं रणनीतिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर निकाय चुनाव प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने सांसद, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में बूथ और वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और चुनावी प्रबंधन को प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। जोगाराम पटेल ने कहा कि भाजपा की संगठनात्मक ताकत का सबसे मजबूत आधार बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ता और प्रभावी जनसंपर्क है।

उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निकाय चुनावों को देखते हुए वार्ड स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को तेज किया जाए। प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करते हुए चुनावी प्रबंधन को मजबूत किया जाए, ताकि पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके।

बैठक में जयपुर शहर प्रभारी प्रभुलाल सैनी, राजेन्द्र पराणा, जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल, जयपुर लोकसभा सांसद डॉ. मंजू शर्मा, विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बालमुकुंद आचार्य, गोपाल शर्मा, कैलाश वर्मा, शंकर सिंह पुरोहित, चंद्रमोहन बंटवारा और रवि नैय्यर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर संभावित चुनावी चुनौतियों और संगठन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। भाजपा नेताओं ने वार्ड और बूथ स्तर तक मजबूत चुनावी प्रबंधन के साथ काम करने का संकल्प लिया। निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा की इस बैठक को जयपुर शहर में पार्टी के चुनावी अभियान और संगठनात्मक रणनीति को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम सुमन लता पंवार से बदलकर सुमन गहलोत कर लिया है; भविष्य में मुझे सुमन गहलोत के नाम से जाना और पहचाना जाए। सुमन गहलोत, निवासी प्लॉट नंबर ए-8, सीतारामपुरी, हिदा की मोरी, गलता रोड, रामगंज, जयपुर (राजस्थान)-9351230246

खोया पाया

मकान नंबर1/203एस एफ एस गुरुकुल मार्ग अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का मूल आवंटन एवं कब्ज़ा पत्र दिनांक 20.01.1987 मेरे से खो गया है, जिसकी नियमानुसार पुलिस रिपोर्ट मेरे द्वारा कराई जा चुकी है, मिलने पर सूचित करें। नवीन चंद्र थपलियाल - 9214593491

मेरे आवास संख्या फ्लैट नम्बर 31/69/10, वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर का मूल मुख्त्यारनामा आम व मूल कब्जा पत्र कही खो गया है। मिलने पर सूचित करे। विनेश कुमार जैन, मो. 9829150784

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
आम सूचना
क्रमांक:F-JDA/Zone-B/2026/D-417
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 322061 दिनांक 30/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer With Patta जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.-1, आवेदक का नाम-Sushila Modi W/o Shreekishan Modi (POA Vansh Modi S/o LT.Nitin Modi)(POA Advik Modi S/o LT.Nitin Modi) एवं Jyoti Modi W/o LT.NITIN MODI, मूल आवंटी /लीजधारक का नाम-श्रीमती सुशीला मोदी पत्नी स्व.श्री किशन मोदी एवं श्री नितिन मोदी, भूखण्ड संख्या-29, भूखण्ड क्षेत्रफल-111.11 SQ. YARD, गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना-Cooperative, योजना का नाम-LAXMI COLONY (SCHEME NO 2), सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया-Name Transfer With Patta, कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज-लीजडीड मृत्यु प्रमाण पत्र सजरा शपथ पत्र वादविवाद शपथ पत्र

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer With Patta जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त, जविप्रा, जोन-B

नम्बर मिलाइए 8890333139
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगरपरिषद कुचामन सिटी

Email : co.mcorp.kuchaman@rajasthan.gov.in
munibkcity@gmail.com
फ्रोन नं. 01586-220022
01586-221526

क्रमांक :– न.प.कु./2026–27/748 **लोक सूचना** दिनांक :–19.08.2026

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि नगरपरिषद् कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन में निम्नानुसार ग्राम दीपपुरा की वर्णित भूमि खातेधारी शुदा का आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है :–

क्र.सं.	खसरा नम्बर	खाता नं.	रकबा	कॉलोनी का नाम क्षेत्र
1.	269, 270, 274, 275, 276, 633/278	110	7.00 हैक्टेयर में से 3.50 हैक्टेयर (श्री रतनाराम के हिस्से की)	रिंग रोड के पस, दीपपुरा

इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम, 1956 की धारा 90–क की उप–धारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी हैं।

अतः उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के भीतर–भीतर कारण बतायें कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्त निहित किया जा सके।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन 2026 (वर्ष) के 08 (मास) के ..... दिन की जारी की जाती है।

नोट :– उक्त खसरा नम्बरान की भूमियों में नदी, नाला, तालाब पेटा, आबी, नियमन से निषिद्ध भूमियां तथा अवाप्तशुदा भूमियां, सिवायचक भूमियां सुमार नहीं होगी।

–प्राधिकृत अधिकारी
आयुक्त नगरपरिषद, कुचामन सिटी